

तृतीय पक्ष एजेन्ट

I. पात्र तृतीय पक्ष एजेन्ट

- अ. सभी तृतीय पक्ष एजेन्टों को इस क्षमता में कार्य करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पहले से प्राधिकार लेना होगा।
- आ. अनुसूचित वाणिज्य बैंक, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंजों के क्लियरिंग कार्पोरेशन अथवा पीएसएस अधिनियम के तहत प्राधिकृत क्लियरिंग कार्पोरेशन तृतीय पक्ष एजेन्ट बनने के पात्र हैं।
- इ. भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा विनियमित अन्य संस्थाएं निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर पात्र हैं :

(ए) विनियामक अनुमोदन

- (i) तृतीय पक्ष एजेन्ट का कारोबार करने के लिए संबंधित विनियामक का अनुमोदन आवेदक के पास होना चाहिए।
- (ii) कोई आवेदक एजेन्ट के तौर पर प्राधिकार पाने का पात्र नहीं होगा, यदि विगत पांच वर्ष के भीतर उस पर कोई प्रतिकूल विनियामक कार्रवाई अथवा कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई हो, जिसे रिज़र्व बैंक महत्वपूर्ण समझता हो।

(बी) वित्तीय मानदंड

- (iii) आवेदक के पास न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी 25 करोड़ रुपये होनी चाहिए जिसे हर समय बरकरार रखा जाए।
- (iv) यदि आवेदक संस्था की कोई विदेशी शेयरधारिता हो तो वह प्रचलित विदेशी निवेश नीति के अनुसार होनी चाहिए।

(सी) अनुभव

- (v) आवेदक के पास भारत अथवा विदेश में वित्तीय क्षेत्र में कम-से-कम विगत पांच साल का अनुभव होना चाहिए प्रथमतया अभिरक्षा, क्लियरिंग या निपटान सेवाओं के क्षेत्र में।

(डी) अवसंरचना

- (vi) तृतीय पक्ष एजेन्ट के पास अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सिस्टम की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

II. भूमिका और दायित्व :

- (i) एजेन्ट अपने सभी सदस्यों /बाजार सहभागियों को सौदे करने के लिए समसमान अभिगम प्रदान करेगा।
- (ii) सौदे की प्रक्रिया पारदर्शी रूप से बताई जाए।
- (iii) सभी सौदों की रिपोर्टिंग इस निदेश के पैरा 9 में बताए अनुसार की जाए।
- (iv) यदि एजेन्ट सभी सौदों का निपटान स्वयं ही करता है तो इसे पीएसएस अधिनियम 2007 के तहत अनुमोदन लेना होगा। यदि सौदों का निपटान एजेन्टों द्वारा स्वयं ही नहीं किया जाता है तो उसे सौदों को निपटान में डालने की जिम्मेदारी लेनी होगी।
- (v) सदस्यता समझौते में निर्धारित शर्तों और निबंधनों के अनुसार कोलेटरल के पुनर्मूल्यांकन, मार्जिन रखने, कोलेटरल पर अर्जन के भुगतान के साथ-साथ किसी भी कोलेटरल के प्रतिस्थापन का दायित्व एजेन्ट पर रहेगा।
- (vi) एजेन्ट से अपेक्षित है कि वह कोलेटरल के लिए परदर्शी और विश्वसनीय मूल्यांकन मानदंड रखेगा।
- (vii) एजेन्ट से अपेक्षित है कि वह सौदों के रिकार्ड को आसानी से पुनर्पाप्य माध्यम में कम-से-कम 8 साल तक रखेगा।
- (viii) एजेन्ट द्वारा रिज़र्व बैंक के रेपो निदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (ix) एजेन्ट द्वारा रिज़र्व बैंक में वे सभी विवरण, प्रलेख और अन्य यजानकारी प्रस्तुत की जाएंगी जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।

III. तृतीय पक्ष एजेन्ट को प्राधिकार देने हेतु आवेदन प्रक्रिया:

- (i) उपर्युक्त पैरा (I) (आ) और (इ) में बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली संस्थाएं परिशिष्ट I-1 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार अपने आवेदन मुख्य महाप्रबन्धक, वित्तीय बाजार विनियमन अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पहली मंजिल, मुख्य भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई-400001 के पते पर भिजवाएं।
- (ii) रेपो मार्केट में तृतीय पक्ष एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करने का निर्णय बाजार की जरूरतों, आवेदक की उपयुक्तता और रेपो मार्केट में संभावित मूल्य-वर्धन के आकलन के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिया जाएगा।
- (iii) प्रक्रियाओं, जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, निपटान व्यवस्था, या अनुमोदन के समय निर्दिष्ट किसी विशिष्ट शर्त में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन(नों) के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को पूर्वानुमति लेना अपेक्षित होगा।

IV. निकासन पद्धति

यदि कोई प्राधिकृत तृतीय पक्ष एजेन्ट परिचालनों का समापन करना चाहता तो इस पर तृतीय पक्ष परिचालनों के समापन की टाइमिंग और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों की बाध्यता रहेगी।

V. तृतीय पक्ष एजेन्टों को उन सभी शर्तों और निबंधनों का पालन करना होगा जो अनुमोदन के समय अथवा अन्य किसी समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं।

रेपो मार्केट में तृतीय पक्ष एजेन्ट हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन

प्रेषक

आवेदक के पंजीकृत कार्यालय / कारोबार का स्थान नाम तथा पता :

(पावती सहित पंजीकृत डाक से/ हैंड डिलीवरी से)

प्रति :

मुख्य महाप्रबन्धक,
वित्तीय बाजार विनियमन अनुभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, पहली मंजिल,
मुख्य भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई-400001

महोदय/महोदया,

रेपो मार्केट में तृतीय पक्ष एजेन्ट हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन

हम कार्पोरेट बॉन्ड और/या सरकारी प्रतिभूतियों (जो अनुमेय नहीं है उसे काट दीजिए) के लिए तृतीय पक्ष एजेन्ट हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं। अपेक्षित जानकारी और प्रलेखों को अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

2. हम घोषणा करते हैं कि संलग्न विवरणों/ अनुलग्नकों में प्रस्तुत जानकारी हमारी जानकारी और विश्वास के मुताबिक सही/शुद्ध और सम्पूर्ण है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

भवदीय

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

कम्पनी की सील :

तारीख और स्थान :

संलग्न : _ शीट

रेपो मार्केट में तृतीय पक्ष एजेन्ट हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन

भाग- ए

1. आवेदक का नाम

2. आवेदक का विधान

(ए) आवेदक कम्पनी है या फर्म या कोई अन्य संस्था

(बी) यदि आवेदक कम्पनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है अथवा सरकारी लिमिटेड कम्पनी

(सी) यदि आवेदक अन्य संस्था है तो कृपया वह स्थिति बताइये जिसके तहत इसका निगमन/स्थापना हुई है।

3. पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय का पता (यदि आवेदक कम्पनी है)

4. क्या विनियामक (आरबीआइ/सेबी) का अनुमोदन लिया गया है? अनुमोदन मूल रूप में संलग्न कीजिए।

भाग- बी

1. तृतीय पक्ष एजेन्ट के तौर पर प्राधिकार प्रदान करने हेतु सेगमेन्ट का नाम : सरकारी प्रतिभूतियां और/या कॉर्पोरेट बॉन्ड

2. तृतीय पक्ष एजेन्ट रेपो हेतु प्रस्ताव का सम्पूर्ण विवरण दिया जाए, जैसे सौदा प्रक्रिया, सौदा-स्थल, सौदों क रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक व्यवस्था, प्राधिकृत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, निपटान व्यवस्थाओं के साथ कनेक्टिविटी और इन निदेशों में अपेक्षित अन्य विवरण

3. वित्तीय बाजार में आवेदक का पूर्ववर्ती अनुभव (कृपया अभिरक्षा कारोबार में अनुभव, यदि हो तो, विशेष रूप से बताएं)

4. आवेदक कम्पनी के सीईओ से वचनपत्र कि कम्पनी के विरुद्ध पिछले पांच साल में कोई मुकदमा या प्रतिकूल विनियामक कार्रवाई या दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई है।